121

Final

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यवाही विवरण

राजस्थान आवासन मण्डल में वास्तुविदो को विभिन्न श्रेणियों में एम्पेनलमेन्ट (Empanelment) के लिए मापदण्ड के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता (मु.) के कक्ष में दिनांक 30.12.2013 को एक बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1	श्री. आर. के भट्ट	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
2	श्री सीताराम बारी	तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
3	श्रीमती ऋतु गुप्ता	वरिष्ठ नगर नियोजक
4	श्री ईश्वर रंगनानी	आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय)

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा वास्तुविदों के पंजीकरण के विभिन्न मापदण्डों की जानकारी दी गई व चर्चानुसार निम्न मापदण्डों के अनुसार पंजीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

1 प्रत्येक वास्तुविदो फर्म कम से कम पॉच वर्षो से भवन निर्माण से सम्बन्धित वास्तुविद सेवाए दे रही हो।

2 प्रत्येक वास्तुविद फर्म द्वारा कम से कम दो बहुमंजिली भवनों (भूतल+पांच मंजिल) के निर्माण की वास्तुविद सेवाएं दी हो।

3 प्रत्येक वास्तुंविद फर्म के पास निम्नलिखित वास्तुविद/अभियंता होने चाहिए :–

क्र.सं.	विषय	श्रेणी	
		A, B	C, D
1	वास्तुविद (10 वर्ष या अधिक कार्यानुभव)	1	1
2	वास्तुविद	2	4
3	सिविल अभियन्ता (इंजीनियर)	1	2
4	सिनियर ड्राफ्ट मैन	5	10

4 वास्तुविद का मुख्य कार्यालय अन्य शहर में स्थित होने की स्थिति में वास्तुविद कंसलटेन्ट द्वारा जिस किसी भी शहर में भवन निर्माण हो रहा है वहाँ पर वह एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसमें एक वास्तुविद व एक सिविल इंजीनियर नियुक्त करेगां

चर्चानुसार उपरोक्त मापदण्डों के पश्चात चयनित वास्तुविदो के वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

श्रेणी	कार्य योजना की लागत	पिछले पाँच वर्षो में पूर्ण किए गए कार्यो की लागत राशि (करोड़ रूपये में)
A	10.00 करोड या कम	रूपये 50.00 करोड़ तक
B	रू. 10.00 करोड़ से अधिक व 20.00 करोड़ तक	रू. 100.00 करोड़ तक
C	रूपये 20.00 करोड़ से अधिक व 40.00 करोड़ तक	रू. 150.00 करोड़ तक
D	40.00 करोड़ से अधिक	रू. 200.00 करोड़ या अधिक

7/2/14 7/2/14 7/2/14

आवासीय अभियन्ता (मु.) वरिष्ठ नगर नियोजक तकनीकी सलाहकार मुख्य अभियन्ता (मु.) मुख्य अभियन्ता (मु.)